महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
आउटकम बजट 2018–19

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	राज्य/ केन्द्र पोषित	आउट ले 2018–19 (रुपया लाख में)		SDG Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट पुट 2018–19	01.04.2017 की स्थिति (बेस लाइन	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउट कम	समय–सीमा
				राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					निदेशन एवं प्रशासन					
	निदेशन तथा प्रशासन	विजन पूर्ण करने हेतु मानव संसाधन क	राज्य पोषित	2575.97	–	–	प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का उचित कार्यान्वयन एवं सुदृढ प्रशासनिक नियन्त्रण		राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ एवं आसान बनाना।	2019–20
					नियोजन					
	चिकित्सालयों की स्थापना	प्रदेश के आम जनमानस हेतु उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना।	राज्य पोषित	94855.21	–	–	प्रा0स्वा0केन्द्र– 16, सामु0स्वा0केन्द्र– 07, सयुंक्त चिकित्सालय–01, ट्रॉमा सेण्टर– 03, ब्लड बैंक– 03, स्वास्थ्य केन्द्र– 32, गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र– 01 के अन्तर्गत पदों के सृजन के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं।		प्रदेश के समस्त नागरिकों को गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु में कमी आयेगी।	2019–20
					निर्माण					
	निर्माण कार्य	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से सम्बन्धित सुविधाएं उपलब्ध कराना।	राज्य पोषित	0	3160.02	–	शव विच्छेदन गृह–01 (नरेन्द्र नगर), ब्लड बैंक– 01 (खटीमा), ट्रॉमा सेण्टर– 01 (टिहरी), सी0एम0ओ0 कार्यालय भवन–01 (रुद्रप्रयाग), बेस चिकित्सालय– 06 (कोटद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ, गोपेश्वर, लम्बगांव, महिला बेस सिमली)		सम्बन्धित निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात टिहरी गढवाल, उधमसिंह नगर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ एवं चमोली के पर्वतीय/दूर–दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ होगी।	2019–20 (यदि समय से बजट उपलब्ध हो जाता है तो)
					सूचना संचार शिक्षा					

	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजनाएं एवं उनका प्रचार– प्रसार	"सभी के लिए स्वास्थ्य" विषयक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सूचना शिक्षा एवं संचार रणनीति का क्रियान्वयन।	राज्य पोषित	50.00	0	–	महानिदेशालय स्तर पर कार्यशील आई0ई0सी0 सैल द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार किया जाना।		लोक स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों से प्रदेश मे बृहद स्तर पर जागरूकता उत्पन्न होगी एवं स्वास्थ्य योजनाओं को प्राप्त करने के लिए मांग सृजित होगी।	2019–20
							!			
"	लोक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0)	पर्वतीय / दूर–दराज / असेवित क्षेत्रों में विशेषज्ञ / आपातकालीन एवं हृदय रोग से सम्बन्धित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।	राज्य पोषित	6700.00	0	–	पर्वतीय, दूरदराज एवं असेवित क्षेत्रो में विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।		विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा (मुख्य रूप से विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं) को प्राप्त करने और पर्वतीय, दूरदराज एवं असेवित क्षेत्रों में आम जनमानस को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।	2019–20
#	तीर्थ यात्रा / मेले / दैवीय आपदा	तीर्थ यात्रियों को यात्राकाल में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं हेतु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना	राज्य पोषित	113.51	0	–	तीर्थ यात्रियों / मेले / दैवीय आपदा के दौरान मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।		तीर्थ यात्राओं / मेले / दैवीय आपदा के दौरान प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी / कर्मी द्वारा मरीजों को सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएगी एवं यात्रा काल में विभिन्न कारणों से होने वाली मृत्यु को कम किया जा सकेगा।	2019–20
					$ % & &	!				
'	राज्य व्याधि सहायता निधि	राज्य व्याधि सहायता निधि से राज्य में निवास कर रहे बी0पी0एल0 श्रेणी के परिवार के व्यक्तियों को चिन्हित घातक रोगों के उपचार के लिये 1.50 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना।	राज्य पोषित	50.00	0	–	राज्य व्याधि सहायता निधि से राज्य में निवास कर रहे बी0पी0एल0 श्रेणी के परिवार के व्यक्तियों को चिन्हित घातक रोगों के उपचार के लिये 1,50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना।		राज्य के बी0पी0एल0 श्रेणी के परिवार के लाभार्थियों को निधि के अन्तर्गत चिन्हित घातक बीमारियों में प्रति लाभार्थी 1,50,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी।	2019–20
						() * +				
-	परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का संचालन	केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाओं को सुदृढीकृत किये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना।	केन्द्र पोषित	12951.68	0	–	केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाओं को सुदृढीकृत किये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना।		राज्य के अन्तर्गत समस्त नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।	2019–20
.	**N.H.M**	90% /0 1 (! 2	10% $ 1 (!	44000.00						
	प्रतिरक्षण एवं पल्स	प्रतिरक्षण कार्यक्रम के	केन्द्र	44000.00		85 प्रतिशत	राज्य की शिशु मृत्यु दर	79.6 प्रतिशत	राज्य की शिशु मृत्यु दर वर्तमान	2019–20

	पोलियो प्रतिरक्षण कार्यकम	अर्न्तगत शिशु मुत्यु दर का कम करना तथा टीकाकरण कर समस्त बच्चों का जानलेवा बिमारियों से बचाना पल्स पोलियो कार्यक्रम के अर्न्तगत समय–समय पर अभियानों का आयोजन तथा सुनिश्चित करना कि राज्य में कोई पोलियो का केस न हाने पावे।	पोषित				वर्तमान 40/1000 से 36/1000 करना तथा प्रतिरक्षण कवरेज को शत–प्रतिशत तक लाने के साथ–साथ प्रदेश को पोलियो मुक्त रखना।		40/1000 से 36/1000 करना तथा प्रतिरक्षण कवरेज को शत–प्रतिशत तक लाने के साथ–साथ प्रदेश को पोलियो मुक्त रखना।	
	पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम	नये बलगम धनात्मक रोगियों में क्योर दर को 85 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करना एवं बनाये रखना और नये रोगियों की व्यापकता को कम करने के लिये उन्मूलन स्थिति तक पंहुचाना	राज्य पोषित			118/100000	नये बलगम धनात्मक रोगियों में क्योर दर को 85 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करना एवं बनाये रखना और नये रोगियों की व्यापकता को कम करने के लिये उन्मूलन स्थिति तक पंहुचाना।	145/100000	118/100000	2019–20
	राष्ट्रीय कुष्ट उन्मूलन कार्यक्रम	कुष्ट रोग की व्यापकता दर कम करना।	केन्द्र पोषित			0.19/10000	भारत सरकार द्वारा 3 आयामी रणनीति सृजित की गयी है, जिससे कुष्ट रोग से पीड़ित व्यक्तियों को समय से चिन्हित कर उपचार में लाया जा सके एवं समाज में कुष्ट रोग को फेलने से रोका जा सके।	0.24/10000	0.19/10000	2019–20
	राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	दृष्टिविहीनता की व्यापक्ता दर को 2020 तक 0.3 प्रतिशत लाना।	केन्द्र पोषित			1 प्रतिशत	• नेत्र शल्यक, को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित कर तथा चिकित्सालयों को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कर जनसाधारण को उच्च गुणवत्ता की सेवायें प्रदान की जायेगी। • स्वयंसेवी संस्थाओं तथा निजी नेत्र सर्जन की भागीदारी सुनिश्चित की	1 प्रतिशत	भारत सरकार द्वारा आंबटित लक्ष्य–व्यापकता दर को 0.3 प्रतिशत तक लाया लाएगा।	2019–20

							जायेगी। • आई0ई0सी के अन्तर्गत नेत्रदान पखवाड़ा तथा ग्लूकोमा के लिये प्रचार–प्रसार किया जायेगा। • महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र, देहरादून में एक नेत्र कोष की स्थापना की जायेगी।			
	राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	वार्षिक पैरासाईट इनसीडेन्स दर प्रति 1000 जनसंख्या में 1 से कम करना। डेंगू की व्यापकता कम करना।	केन्द्र पोषित			1/1000	• रोगियों का त्वरित जांच एवं उपचार। • व्यापक प्रचार प्रसार। • फॉगिंग, स्प्रे एवं कीटनाशक छिडकाव। • सोर्स रिडक्शन, फॉगिंग, स्प्रे एवं कीटनाशक छिडकाव।	1/1000	वार्षिक पैरासाईट इनसीडेन्स दर प्रति 1000 जनसंख्या में 1 से कम बनाये रखना। डेंगू की व्यापका कम करना।	2019–20
	मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम	मातृ मृत्यु अनुपात में कमी लाना	केन्द्र पोषित			141/100000 जीवित जन्म	165/100000 जीवित जन्म	165/100000 जीवित जन्म	मतृ–मृत्यु अनुपात (MMR) 141/100000 जीवित जन्म तक घटाना (SDG)	2019–20
	शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम	शिशु मृत्यु दर तथा 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाना				36/1000 जीवित जन्म	40/1000 जीवित जन्म	38/1000 जीवित जन्म	36/1000 जीवित जन्म	2019–20
	NPCDCS (National Programme for Control of Diabetise, Cancer and Stroke)	जीवन–शैली तथा आचरण परिर्वतन द्वारा गैर संचारी रोगो की रोकथाम, निदान तथा ईलाज के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विभिन्न स्तरों पर सुदृढीकरण करना।				42 प्रतिशत	जीवन–शैली तथा आचरण परिर्वतन द्वारा गैर संचारी रोगो की रोकथाम, निदान तथा ईलाज के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विभिन्न स्तरों पर सुदृढीकरण करना। गैर संचारी रोगियों को पुर्नवास तथा पैलेटिव केयर प्रदान करने हेतु संसाधन विकसित करना।	48 प्रतिशत	जनपद स्तर पर गैर संचारी रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को प्रशिक्षित ए0एन0एम0/आशा के माध्यम से शीघ्र जॉच तथा उपचार की सुविधा प्राप्त करवायी जाएगी।	2019–20
	NTCP (National	कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।				–	कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना। प्राधिकृत	-	जनपद स्तर पर टास्क फोर्स के गठन से धारा–4, 5, 6 तथा 7 का	2019–20

	Tobaco Control Programme)	प्राधिकृत अधिकारियों, पैरामेडिकल कर्मचारी/अधिकारी, शिक्षक तथा अन्य को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति प्रशिक्षित करना। तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने हेतु आई0ई0सी0 गतिविधियॉ आयोजित करना। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित करना। तम्बाकू नशा उन्मूलन केन्द्र की स्थापना।					अधिकारियों, पैरामेडिकल कर्मचारी/अधिकारी, शिक्षक तथा अन्य को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति प्रशिक्षित करना। तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने हेतु आई0ई0सी0 गतिविधियॉ आयोजित करना। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित करना। तम्बाकू नशा उन्मूलन केन्द्र की स्थापना।		प्रभावी रूप से क्रियान्वयन होगा, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कम होगा। सभी जनपदों में नशा उन्मूलन केन्द्र स्थापित होंगे। जनपद स्तर पर सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों में तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूता कार्यक्रमों के आयोजन से प्रदेश के लगभग सभी छात्र तथा छात्रा जागरूक होंगे।	
	NPPCD	चोट अथवा बीमारी के कारण श्रवण ह्रास की रोकथाम। बीमारी की शीघ्र पहचान, निदान व उपचार। बीमारी से ग्रसित सभी आयु वर्ग के रोगियों का पुनवार्स। बधिरता व्यक्तियों के व वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं की सुदृढ़ीकरण। संस्थानों का उपकरणों, सामग्री व प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास करना।				–	चोट अथवा बीमारी के कारण श्रवण ह्रास की रोकथाम। बीमारी की शीघ्र पहचान, निदान व उपचार। बीमारी से ग्रसित सभी आयु वर्ग के रोगियों का पुनवार्स। बधिरता व्यक्तियों के व वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं की सुदृढ़ीकरण। संस्थानों का उपकरणों, सामग्री व प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास करना।	-	उपकेन्द्र, पी0एच0सी0 तथा सी0एच0सी0 स्तर पर ENT Equipments उपलब्ध होंगे, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी।	2019–20
	NPHCE	प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सुगमता पूर्वक उनकी समस्याओं का निदान, उनकी रोकथाम तथा पुर्नवास सेवाएं प्रदान करना। वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सम्बन्धी कठिनाईयों को पहचानकर उनका उचित निदान करना तथा उच्च संस्थानों				–	प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सुगमता पूर्वक उनकी समस्याओं का निदान, उनकी रोकथाम तथा पुर्नवास सेवाएं प्रदान करना।	-	जिरिएटिक वार्ड की स्थापना से वृद्ध नागरिकों की स्वास्थ्य देखाभाल होगी तथा जिला चिकित्सालय स्तर पर वृद्ध नागरिकों के लिए Aid & Appliances उपलब्ध होंगे, जिससे प्रदेश में वृद्धजनों के स्वास्थ्य में सुधार होगा।	2019–20

		को सन्दर्भित करना। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं के मानव–संसाधनों तथा परिवार के सदस्यों को प्रषिक्षण प्रदान करना। वरिष्ठ नागरिकों को जिला चिकित्सालयों तथा क्षेत्रीय चिकित्सालयों के द्वारा सन्दर्भित सेवाएं प्रदान करना।								
	NMHP	मानसिक रोग से ग्रसित रोगियों की पहचान कर उपचार प्रदान करना। जनता में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा चिकित्साधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।				10 प्रतिशत तक कम करना	मानसिक रोग से ग्रसित रोगियों की पहचान कर उपचार प्रदान करना। जनता में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा चिकित्साधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।	-	जनपद स्तर पर चिकित्सक तथा पैरामेडिकल स्टॉफ प्रशिक्षित किये जाएंगे। जनपद ऊधमसिंहनगर में मेन्टल वार्ड की स्थापना से जनपदे उधमसिंह नगर व उसके आस पास के क्षेत्र के मानसिक रोगियों की स्वास्थ्य देखभाल होगी।	2019–20
	NOHP	ओरल हैल्थ की सेवाओं का सुदृणीकरण। मूँह से सम्बन्धी बीमारियों को रोकना। अन्य कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य सेवाओं के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को बेहतर बनाना। लोक निजि सहभागिता के माध्यम से ओरल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना।				–	ओरल हैल्थ की सेवाओं का सुदृणीकरण। मुंह से सम्बन्धी बीमारियों को रोकना। अन्य कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य सेवाओं के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को बेहतर बनाना। लोक निजि सहभागिता के माध्यम से ओरल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना।	-	जनपद स्तर पर कैम्प आयोजित किये जायेंगे, जिसमें डेन्टल सर्जन द्वारा मुंह के रोगों की जांच होगी।	2019–20
	ड्राप बैक (खुशियो की सवारी)	प्रसूता एवं नवजात शिशु को सरकारी संस्थाओं से घर तक सुरक्षित पहुचाने की सुविधा				60000	प्रसूता एवं नवजात शिशु को सरकारी संस्थाओं से घर तक सुरक्षित पहुचाने की सुविधा	58000	सरकारी संस्थाओं मे संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव से लाभान्वित माताओं की संख्या मे वृद्धि होगी व शिशुओं की उचित देखभाल होगी। प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु में कमी आयेगी।	2019–20

	पिक–अप (गर्भवती महिला एवं 0–01 वर्ष के शिशु हेतु)	गर्भवती महिलाओं को घर से सरकारी संस्थाओं तक पहुचाने की सुविधा				55000	गर्भवती महिलाओं एवं 0–01 वर्ष के शिशुओं को घर से सरकारी संस्थाओं तक पहुचाने की सुविधा उपलब्ध कराना।	55000	संस्थागत प्रसव को बढावा मिलेगा एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आयेगी।	2019–20
	OPEX–122 BLS and OPEX–17 ALS **34 5 / - आपातकालीन एम्बुलेन्स सेवा)**	आकस्मिक चिकित्सा सहायता तथा नजदीकी सरकारी संस्थाओं तक पहुचाने की सुविधा				–	आकस्मिक चिकित्सा सहायता तथा नजदीकी सरकारी संस्थाओं तक पहुचाने की सुविधा हेतु। वर्तमान में उक्त योजना के तहत 122 BLS एवं 17 ALS एम्बुलेंन्सों के द्वारा सेवाऐं प्रदान की जा रही है।	-	संकट की घडी में जनता को आकस्मिक चिकित्सा सहायता पहुचाने तथा नजदीकी चिकित्सालय तक ले जाने के लिए 108 आपातकालीन निशुल्क सेवा संचालित किये जाने से प्रदेश में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।	2019–20
	मोबाईल मेडिकल यूनिट	दूरस्त क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता				3960 कैम्प	दूरस्थ क्षेत्रों में कैम्प लगाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। वर्ष 2018–19 में 3498 कैम्प लगाये जाएंगे।	330	दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों के जनमानस को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।	2019–20
	"चिकित्सा सुविधा आपके द्वार" विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर	सुदूर असेवित ब्लॉक में गम्भीर रोगियो का चिन्हिकरण, निदान व उपचार।				1584 कैम्प	– सुदूर असेवित ब्लॉक में गम्भीर रोगियो का चिन्हिकरण, निदान व उपचार। – रोगियो को चिन्हित कर मुख्यमंत्री स्वास्थ बीमा के माध्यम से निशुल्क उपचार हेतु संदर्भण। – गैर संचारी रोगो के प्रति जागरुकता एवं शीध्र निदान।	-	सुदूर एवं असेवित क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं उलब्ध कराई जायेंगी। इससे सूदूर क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।	2019–20
	राष्ट्रीय निःशुल्क जॉच योजना	जिला/उपजिला स्तर की चिकित्सा इकाइयों में मरीजों की निःशुल्क पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी एवं कार्डियोलॉजी नैदानिक जांचे कराना।				36000 (एम.एस. बी.वाई. मरीज)	जिला/उपजिला स्तर की चिकित्सा इकाइयों में कुल 30 नैदानिक जॉचे एवं 28 सामु0स्वा0केन्द्रों मे (Diagnostic Test) निःशुल्क की जाएंगी ।	32000 (एम. एस.बी.वाई. मरीज)	राज्य की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक की समस्त चिकित्सा इकाईयों में न्यूनतम कुल 17 नैदानिक जॉचो (Diagnostic tests) को निःशुल्क किया जाना। नैदानिक जांच के मरीजों का उपचार किया जाएगा एवं आवश्यकतानुसार उच्च संस्थान हेतु सन्दर्भित किया जाएगा।	2019–20

	टेलीरेडियोलॉजी	राज्य की कुल 35 चिन्हित चिकित्सा इकाई में (जिसमें 25 जिला/उपजिला चिकित्सालय तथा 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्मिलित है) में टेलीरेडियोलॉजी सेवा उपलब्ध करायी जाएगी।				–	राज्य की कुल 35 चिन्हित चिकित्सा इकाई में (जिसमें 25 जिला/उपजिला चिकित्सालय तथा 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्मिलित हैं) में टेलीरेडियोलॉजी सेवा उपलब्ध करायी जाएगी। वर्तमान में 18 क्रियाशील हैं।	-	राज्य के सूदूरवर्ती क्षेत्रों में टेलीरेडियोलॉजी सेवा से निदान कर उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।	2019–20
	हिमोग्लोबीनोपैथी कार्यक्रम/ ए0बी0डी0	रक्त विकार/ हिमोग्लोबीनोपैथी हेतु प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर में रोकथाम, नियत्रंण एवं जागरूकता अभियान संचालित करना।				57000 (देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल)	रक्त विकार/ हिमोग्लोबीनोपैथी हेतु प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर में रोकथाम, नियत्रंण एवं जागरूकता अभियान संचालित करना।	52964 (देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल)	1. प्राथमिक फेस पर 80 :प्रतिशत बच्चो के जन्मजात रक्त विकार रोगो की रोकथाम की जा सकेगी। 2 थैलेसिमिया रोगियों का उपचार किया जाएग एवं iron chelator प्रदान किये जाएंगे। 3.किशोर/किशोरियो हेतु सरकारी एवं सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों में जांच के द्वारा 80 प्रतिशत बच्चों में हिमोग्लोबीनोपैथी की जाँच की जाएगी। 5. समस्त जनपदों में थैलेसिमिया/एनीमिया एवं रक्तदान हेतु जागरुकता कार्यक्रमो के सफल संपादन के पश्चात थैलेसिमिया/अनीमिया की रोकथाम एवं निवारण में सहायक सिद्ध होगा। 1. हीमोफिलिया रोगियो हेतु Coagulation factors प्रदान कर हीमोफिलिया रोगियो के आर्थिक, मानसिक एवं हीमोफिलिया रोगियो की मृत्यु	2019–20

									दर को कम करने में सहायक सिद्ध होगा।	
	प्रशिक्षण N.H.M.	चिकित्साधिकारियों, स्टाफ नर्स, महिला स्वास्थ्य निरीक्षिका के ज्ञान, कौशल में अभिवृद्धि एवं सशक्तिकरण किया जाना।	केन्द्र पोषित				1 Skill Lab Training-50 SN. 2 Dakhshta Training-80 MO, 80 SN 3 SBA Training- 20 ANM 4 EMOC Training-03 MO 5 LSAS Training- 04 MO 6 Safe Abortion-08 MO 7 RTI/STI-16 LT, 30 MO 8 BEMOIC Training-12MO 9 4Day FBNC-04 MO, 16 SN 10 MAA Training-50MO, 100SN 11 Laproscopic Sterilization Training-03MO 12 Minilap Sterlization-10Mo 13 IUCD Training-20 MO, 10 SN 14 PPIUCD Training-20 MO, 20 SN 15 PAIUCD-100 SN & 50 SN 16 Injectable Contracetives-100MO, 100 SN		1. ज्ञान एवं कार्यक्षमता में सुधार 2. उपचार की सफलता दर में सुधार 3. मातृ मृत्यु दर/शिशु मृत्यु दर में कमी लाना 4. सम्पूर्ण प्रतिरक्षण में वृद्धि 5. संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव 90 प्रतिशत 6. परिवार कल्याण कार्यक्रम की अवधारणा एवं अस्थाई विधियों को अपनाये जाने को बढावा दिया जाना 7. आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 18 वर्ष तक के स्कूली छात्रों की बीमारियों की शीघ्र हचान एवं उपचार प्रदान किया जाना	2018–19
	ब्लड सैल	ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के अनुसार रक्तकोषो तथा रक्त संग्रहण केन्द्रों को आवश्यक सहयोग प्रदान करके उन्हें				22	6 & 7) 8 9 : " 6 31 /) 1) : राज्य में 3 रक्तकोषो को उच्चीकृत कर नई	20	ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के अनुसार रक्तकोषो तथा रक्त संग्रहण केन्द्रों को आवश्यक सहयोग प्रदान करके उन्हें लाइसेंस आवेदन करने की स्थिति तक पहुचना	2018–19

		लाइसेंस आवेदन करने की स्थिति तक पहुचना तथा उन्हे सामान्य कार्य करने हेतु सहयोग प्रदान करना।					कम्पोनेन्ट सेपरेटर यूनिट उपलब्ध कराना। 6 8! 9 1! : रामनगर में नया रक्तकोष स्थापित करना 6 8! 9 / ; 4 < 1 =& "6 > ? ! > > 8) < 1 =& @ उपरोक्त हेतु ब्लड सेल में उपलब्ध कराना।		तथा उन्हे सामान्य कार्य करने हेतु सहयोग प्रदान करना।	
	इन्टेग्रेटिड डीजिज सर्विलेन्स प्रोग्राम	• सिन्ड्रोमिक रिर्पोटिग (S Form), प्रिसम्पटिव रिपोर्टिग (P Form), लैब कन्फर्म्ड रिपोर्टिंग (L Form) > 80% • एपिडेमिक संवेदनशील रोगो की जांच हेतु जिला पब्लिक हैल्थ लैब का सुदृढीकरण				80 प्रतिशत से अधिक	• सिन्ड्रोमिक रिर्पोटिग (S Form), प्रिसम्पटिव रिपोर्टिग (P Form), लैब कन्फर्म्ड रिपोर्टिंग (L Form) > 85% • एपिडेमिक संवेदनशील रोगो की जांच हेतु जिला पब्लिक हैल्थ लैब का सुदृढीकरण	90 प्रतिशत	• सभी आउटब्रेक का 48 घण्टो मे इन्वेसटिगेशन – 100% • सिन्ड्रोमिक प्रिसम्पटिव व लैब कन्फर्म्ड रिपोर्टिंग के अन्तर्गत सभी रिपोर्टिंग यूनिटो की रिपोर्टिंग को > 90% किया जाना।	2019–20
	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	1. उत्तराखण्ड राज्य को एच.आई.वी. के नये संक्रमण से वर्ष 2030 तक शून्य करना। 2. उत्तराखण्ड राज्य में एच.आई.वी. संक्रमित समस्त व्यक्तियो को चिकित्सा उपचार सुविधा उपलब्ध कराना।	केन्द्र पोषित	35.05	–	0.08	0.11	0.11	1. उत्तराखण्ड राज्य को एच.आई.वी. के नये संक्रमण से वर्ष 2030 तक शून्य किया जाएगा। 2. उत्तराखण्ड राज्य में एच.आई.वी. संक्रमित समस्त व्यक्तियो को चिकित्सा उपचार सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।	2019–20
	मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य बीमा योजना	चिकित्सा उपचार में होने वाले अत्यधिक व्यय को कम करना	राज्य पोषित	6550.00	-	–	योजना के अन्तर्गत पंजीकृत 20 लाख पात्र परिवारों को (आयकरदाता, पेंशनर्स, सरकारी कर्मचारी को	–	योजना के अन्तर्गत पात्र 20 लाख परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।	2018–19

							छोड़कर) निःशुल्क चिकित्सा लाभ प्रदान करना तथा शेष पात्र लाभार्थी परिवारों को योजना के अन्तर्गत पंजीकृत कर योजना का लाभ प्रदान करना एवं इच्छुक राज्य के अन्तर्गत व राज्य के बाहर के चिकित्सालयों को योजना में पंजीकृत करना।			
	यू0 हैल्थ योजना	उत्तराखण्ड राज्य के हैल्थ कार्ड धारक राजकीय कर्मचारियों/पेंशनर्स एवं उनके पात्र आश्रितों को नकद रहित चिकित्सा सुविधा प्रदान करना	राज्य पोषित	620.50	0	–	1. यू0 हैल्थ योजना के अन्तर्गत कार्मिकों को आच्छादित कर कार्ड निर्गत करना 2. नये चिकित्सालयों को पंजीकृत करना 3. चिकित्सालयों का समयबद्ध भुगतान करना।	–	उत्तराखण्ड राज्य के हैल्थ कार्ड धारकों (कुल 17000 राज्य कर्मचारियों/पेंशनर्स) एवं उनके पात्र आश्रितों को पंजीकृत निजी चिकित्सालयों में बेहतर सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी। **यदि योजना को शासनादेश के अनुपालन में अनिवार्य कर लागू किया जाता है तो राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारी/पेंशनर्स एवं उनके आश्रित (लगभग 8–10 लाख) को गुणवत्तापरक चिकित्सा उपचार उपलब्ध होगा तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति में होने वाला व्यय भार में न्यूनता आएगी।**	2018–19
	हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट	उत्तराखण्ड के दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना एवं राज्य की जनता स्वास्थ्य कारणों से होने वाले व्यय को कम करना।	बाह्य सहायतित	8053.50	0	–	जनमानस को स्वास्थ्य लाभ देने हेतु हेल्थ सिस्टम का डेवलपमेन्ट करना।	–	हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट से प्रदेश में अच्छी स्वास्थ्य सेवा दी जा सकेगी।	2024–25